

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt.No 2/2950 (JJB)/
III-6-4/72-XI

Jabalpur, dated 28/06/2019

The copy of Notification no. 2607/1207/2019/5-&2 dated 14-05-2019 issued u/s 4(1) &(2) of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 issued by State Government, Department of Women & Child Development Mantralaya, Vallabh Bhawan Bhopal in respect of frequency of sitting of Juvenile Justice Board Guna is forwarded to :-

- 1- The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
- 2- The District and Sessions Judge,
- 3- The District Judge (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore, Gwalior
- 4- Shri/Smt.....CJM/JMFC & Principal Magistrate of District.....
- 5- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
- 6- Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- 7- P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
- 8- P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination & ILR)/OSD High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 9- P.A. to Director/Additional Director/JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 10- Deputy Registrar /Confidential/S.O. Checker High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 11- Computer Operator, Confidential Section , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 12- Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.


(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (DE)

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/5/19

क्रमांक 2607 /1204/2019/50-2 (ए.एन.) :: राज्य शासन एतद् द्वारा जारी आदेश दिनांक 18/04/2017 में आंशिक संशोधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 6 (7) में किशोर न्याय बोर्ड के कार्य दिवसों के बारे में प्रावधानित है कि "बोर्ड सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य-समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो"।

2/ माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक B/15-18/III-6-4/72 दिनांक 10.3.2017 द्वारा प्रदेश में किशोर न्याय बोर्ड कार्य दिवसों की संख्या प्रस्तावित कर आदेश जारी करने हेतु लेख किया गया था। उक्त पत्र के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा आदेश क्र. 935/1232/2017/50-2 दिनांक 18/4/2017 के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में किशोर न्याय बोर्ड हेतु कार्य दिवस निर्धारित किया गया था।

2/ माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक B/2261----/III-6-4/72-IX दिनांक 24/4/2019 द्वारा किशोर न्याय बोर्ड गुना जिले में कार्यदिवसों की संख्या प्रस्तावित कर आदेश जारी करने हेतु लेख किया गया है।

4/ अतः राज्य शासन द्वारा दिनांक 18/4/2017 को जारी आदेश के सरल क्रमांक 2 में संशोधन करते हुए निम्न सारणी के कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित किशोर न्याय बोर्ड हेतु कॉलम क्रमांक 3 अनुसार कार्य दिवस निर्धारित करता है:-

क्रमांक	किशोर न्याय बोर्ड	बोर्ड बैठक हेतु निर्धारित कार्य दिवस
1	2	3
1.	गुना	सोमवार (1 दिवस)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

TCR
15435

अर्चना

17.5.19

o/c

Alken

6
(पी.के.ठाकुर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठांक क्रमांक 2608 / 1204 / 2019 / 50-2 (ए.एन.)

भोपाल, दिनांक 14/5/19

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय, भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, मध्यप्रदेश।
8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला गुना, मध्यप्रदेश।
9. कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश।
10. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जिला गुना, मध्यप्रदेश।
11. संभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला ग्वालियर।
12. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गुना।
13. अनुभाग अधिकारी-2/गार्ड फाइल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

Alka

महिला एवं बाल विकास विभाग

14.5.19